



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274630
CG-DL-E-20072026-274630

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3718]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948

No. 3718]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026

सं. 66/2025-26

विषय: अधिसूचना संख्या 66/2025-26 दिनांक 23 मार्च, 2026 के शुद्धिपत्र के संबंध में।

का.आ. 3881(अ).— अधिसूचना संख्या 66 दिनांक 23 मार्च द्वारा दिनांक 22.02.2026 को लागू आरओडीटीईपी दरों को पुनर्स्थापित किया गया था।

अधिसूचना संख्या 66 के पैरा 2 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

दिनांक 22.02.2026 को लागू परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4दड में विनिर्दिष्ट दरें और मूल्य सीमाएं, एतद द्वारा सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए दिनांक 23.03.2026 से 31.03.2026 तक पुनर्स्थापित की जाती हैं।

इस शुद्धिपत्र का प्रभाव:

केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप अधिसूचना संख्या 66 दिनांक 23 मार्च, 2026 में निर्दिष्ट आरओडीटीईपी लाभों की पुनर्स्थापना की तिथि में सुधार किया गया है।

[फा. सं: 01/94/180/003/एम26/पीसी-4]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, 23rd March, 2026

No. 66/2025-26

Subject: Corrigendum to Notification No. 66 /2025-26 Dated 23rd March 2026- reg

S.O. 3881(E).— Vide Notification No. 66 dated 23rd March, the RoDTEP rates were restored to rates applicable on 22.02.2026

The Para 2 of the Notification 66 may be read as below:

The RoDTEP rates and value caps as specified in Appendix 4R and Appendix 4RE, as applicable on **22.02.2026**, are hereby **restored with effect from March 23, 2026 to March 31, 2026** for all eligible export products.

Effect of this Corrigendum:

The date of restoration of RoDTEP benefits specified in Notification No. 66 dated 23rd March 2026 is corrected in line with the decision taken by the Central Government.

[F. No. 01/94/180/003/AM26/PC-4]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secretary